प्रेस विज्ञप्ति

03.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स रंगगीता एंटरप्राइजेज नामक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गोहिल जयकुमार और अन्य संबद्ध व्यक्तियों की 2 आवासीय फ्लैट, सावधि जमा और 61.53 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के इक्विटी शेयरों के रूप में चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने गोवा पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा गोहिल जयकुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर और आरोप पत्र के अनुसार, गोहिल जयकुमार और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं बनाईं, जिसके माध्यम से जनता को 9.33 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया गया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि गोहिल जयकुमार, गोवा और गुजरात में विभिन्न कार्यालयों वाली एक अपंजीकृत संस्था मेसर्स रंगगीता एंटरप्राइजेज के माध्यम से, 20% प्रति माह तक के अत्यधिक और अवास्तविक रिटर्न का वादा करके जनता से निवेश आकर्षित कर रहा था। निवेशकों का पैसा सीधे गोहिल जयकुमार और उसके एजेंटों के निजी बैंक खातों में जमा किया जाता था। यह योजना एक पोंजी योजना के रूप में काम करती थी और अप्रैल-मई 2022 में तब ध्वस्त हो गई जब निकासी की मात्रा नए निवेश से अधिक हो गई।यह स्थापित हो चुका है कि अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) को किसी वैध व्यवसाय में नहीं लगाया गया तथा इसका दुरुपयोग निजी लाभ के लिए किया गया, जिसमें अचल संपत्ति की खरीद, व्यक्तिगत निवेश, विलासितापूर्ण जीवनशैली का वित्तपोषण तथा अन्य व्यक्तिगत खर्च शामिल हैं।

आगे की जांच जारी है।